



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58321

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2695/2026

विनीत कुमार उर्फ सट्टन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मेहुल खरे, सौरभ केसरवानी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा सत्र विचारण संख्या 1151/2021, जो मुकदमा अपराध संख्या 187/2021 से उद्भूत है, धारा 302, 316 और 120-बी आई.पी.सी., थाना-सिकंदराबाद, जिला- बुलंदशहर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहता है:-
 - (i) आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था।
 - (ii) वर्तमान मामले में आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था।
 - (iii) आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों को तलब करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.8.2023 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।
 - (iv) उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक दाण्डिक पुनरीक्षण भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके पश्चात दाण्डिक अपील संख्या 5229/2025 (नीरज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 4.12.2025 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसके बाद आदेश दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से आवेदक और अन्य अभियुक्तों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किया गया है।
 - (v) आवेदक मृतक का देवर है।
 - (vi) समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त राजवती उर्फ रज्जो और पुष्पेंद्र उर्फ गब्बर, जिन्हें धारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



319 दं.प्र.सं. के तहत तलब किया गया था, उन्हें इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1794/2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

(vii) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास बताने में असमर्थ रहे हैं।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. मामले के तथ्यों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक अभियुक्त राहुल के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आवेदक का नाम मृतक के दूसरे बयान में बताया गया है, जिसे 9.7.2021 को वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसे अभियोजन पक्ष पीड़िता का मृत्युकालिक कथन होने का दावा करता है और उक्त मृत्युकालिक कथन में आवेदक का नाम सामने आया। आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था और विचारण के दौरान उसे धारा 319 दं.प्र.सं. की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपों का सामना करने के लिए तलब किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत तलब किए जाने के पश्चात अग्रिम जमानत देने का मामला बनता है।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- विनीत कुमार उर्फ सट्टन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में अपना व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;
 - iv. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
10. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20 मार्च, 2026

कुशल

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"